20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच की अवधि के लिए जारी ई-वे बिल की वैधता को सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने यह जानकारी दी है।

मोदी ने सोनिया समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं से कोरोना संकट पर की चर्चा

परामर्श ▶ मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को भी किया फोन

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रतिभा पाटिल से भी की बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से मुकाबले के मुद्दे पर प्रमुख सियासी शख्सियतों के साथ देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से बातचीत की। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से संवाद किया। वहीं मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फोन पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन की चुनौतियों पर बातचीत की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दूसरे विपक्षी नेताओं से भी प्रधानमंत्री की इस मसले पर बात हुई।

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रमुख विपक्षी नेताओं को फोन कर कोरोना संकट के मुद्दे पर चर्चा किए जाने की सरकारी

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

सूत्रों ने जानकारी दी। हालांकि, बातचीत का ब्योरा नहीं दिया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पैदा हुए हालात को लेकर विपक्षी पार्टियां पिछले कई दिनों से उनसे सलाह-मशविरा नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठा रही थीं।

ऐसे में पीएम का सोनिया गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं को सीधे फोन करना इस शिकायत को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी की यह पहल कोरोना से जंग में देश की एकजुटता के साथ विपक्षी नेताओं से संवाद की दूरी पाटने के प्रयास के तौर पर देखी जा रही है। वैसे प्रधानमंत्री आठ अप्रैल को भी सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल से फोन पर चर्चा के बाद मनमोहन सिंह और देवगौड़ा से बात की। विपक्षी नेताओं में सोनिया गांधी के अलावा मोदी ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन को भी फोन कर कोरोना की चुनौती पर चर्चा की। माना जा रहा है कि पीएम ने लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति और इसके बाद की परिस्थितियों को लेकर भी इन नेताओं से मशविरा किया। विपक्षी नेताओं के अलावा एनडीए के सहयोगी अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल से भी पीएम ने मौजूदा हालत पर चर्चा की।

पीएम की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेगी तृणमूल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद हिस्सा नहीं लेंगे। तृणमूल का कहना है कि कोरोना को लेकर पार्टी के सभी सांसद इस वक्त अपने-अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं, ऐसे में बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लोकसभा में तृणमूल के नेता और वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के सांसद सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इसे लेकर बंगाल में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। बंगाल प्रदेश भाजपा के नेताओं ने इसे लेकर तृणमूल की तीखी आलोचना की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जब पीएम सभी दलों के साथ चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे समय में भी तृणमूल राजनीति से बाज नहीं आ रही है।

कैबिनेट सचिव ने जिला स्तर पर कोरोना तैयारियों का लिया जायजा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लॉकडाउन के कारण भले ही सरकार को कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार धीमी करने में सफलता मिल रही हो, लेकिन वह इससे निपटने की तैयारियों में ढील देना नहीं चाहती है। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव ने सीधे जिला स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद कायम किया। उन्होंने वायरस फैलने की स्थिति में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन बनाने के साथ-साथ मरीजों की संख्या बढ़ने पर उनके इलाज के लिए विशेष अस्पतालों के निर्माण और आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा की।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जमीनी स्तर पर धार देने के लिए कैबिनेट सचिव ने पूरे देश के सभी जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ और सतर्कता अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला स्तर पर तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज्य और जिला सतर्कता अधिकारी, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव भी मौजूद थे।

देश के सभी जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ के साथ किया सीधा संवाद

कैबिनेट सचिव ने जिला स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने यहां चिकित्सा उपकरण या दवाइयां बनाने वाली फार्मा यूनिट से सुचारू रूप से चलने का पुख्ता बंदोबस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि देश में कहीं भी कोरोना का मरीज बढ़ने की स्थिति में उसे जिला स्तर पर रोकने के लिए कंटेनमेंट का प्लान जारी किया है। इस प्लान में कंटेनमेंट एरिया के साथ-साथ बफर जोन बनाने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारियों ने विस्तार से बताया कि वे कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन बनाने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। किस तरह इन इलाकों में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है और बुजुर्गों की पहचान कर उन्हें कोरोना से बचाने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है।

कैबिनेट सचिव ने पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकरूपता लाने और एक-दूसरे जिले के बेहतर अनुभवों को साझा कर उन पर अमल करने का निर्देश दिया। इस सिलसिले में नोएडा, आगरा, भीलवाड़ा, पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। इन जिलों में शुरू में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से सामने आई थी, लेकिन उन्हें फैलने से रोकने में सफलता भी मिली।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी इससे सहमत थे कि कोरोना को कठोरता के साथ शुरू में ही कुचलना जरूरी है, वरना जरा सी ढिलाई भारी पड़ सकती है। जिलाधिकारियों ने कोरोना के लिए विशेष अस्पताल बनाने से लेकर संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस को तैयार किए जाने की जानकारी दी। कैबिनेट सचिव ने कहा कि देश में 274 जिलों में कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। उन्हें बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह से जिला स्तर के अधिकारियों की है। केंद्र व राज्य सरकार उन्हें हरसंभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने सभी जिलों में कोरोना से निपटने के लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाने को कहा।

वायरस से निपटने को दो महीने में 30 हजार वेंटीलेटर बनाएगा बीईएल

- रक्षा मंत्रालय के उपक्रमों ने कोरोना से निपटने में झोंकी पूरी ताकत
- ओएफबी बना रहा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कवरआल और मास्क

प्रतीकात्मक फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना महामारी को हराने के लिए बेहद अहम माने जा रहे वेंटीलेटर की देश में कमी दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)ने डीआरडीओ के डिजाइन किए वेंटीलेटर का देश में ही बड़ी संख्या में निर्माण शुरू कर दिया है। वेंटीलेटर बनाने की इस बड़ी पहल के आगाज के साथ ही बीईएल अगले दो महीने में ही 30,000 वेंटीलेटर बनाकर उसे स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप देगा।

कोरोना महामारी से प्रभावित मरीजों की संख्या में इजाफे की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से वेंटीलेटर समेत कई दूसरे चिकित्सा व बचाव उपकरणों का निर्माण करने को कहा है। आइसीयू में कोरोना प्रभावित मरीजों की जीवन रक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय बड़ी संख्या में वेंटीलेटर का प्रबंध कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसीलिए बीईएल को यह जिम्मा दिया है जिसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित वेंटीलेटर का निर्माण अपनी इकाईयों में शुरू कर दिया है।

डीआरडीओ के डिजाइन किए इस वेंटीलेटर में मैसूर की मेसर्स एसकैनेरी ने कुछ सुधार किया था जिसका बीईएल के साथ गठबंधन है। बीईएल जहां नए वेंटीलेटर का निर्माण कर रहा है, वहीं आर्डिनेंस फैक्ट्री, मेडक कई अस्पतालों के खराब वेंटीलेटरों की मरम्मत कर उन्हें फिर से संचालन योग्य बना रही है।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात चिकित्साकर्मियों और तमाम आवश्यक सेवाओं के लोगों के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कवर आल पोशाक और मास्क की भी भारी जरूरत है। इसी को देखते हुए कानपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और चेन्नई की आर्डिनेंस फैक्ट्रियां कवर आल पोशाक और मास्क का विकास करने में जुटी हुई हैं। इन कंपनियों ने बेहद कम समय में ही इनका निर्माण करने के लिए स्पेशल हिट स्केलिंग मशीनों की भी व्यवस्था की है। ग्वालियर स्थित डीआरडीओ के प्रतिष्ठान ने कवरआल का डिजाइन परीक्षण कर इनके निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जल्द ही आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) की कई इकाइयां पांच से छह हजार पीस कवरआल पोशाक और मास्क का उत्पादन शुरू कर देंगी।

कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सैनिटाइजर की भारी जरूरत को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप ओएफबी की इकाइयों ने बड़ी मात्रा में इनका भी उत्पादन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने एचएलएल लाइफकेयर को सैनिटाइजरों की केंद्रीय खरीद के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।

ओएफबी की इकाइयों को तत्काल 13,000 लीटर सैनिटाइजर देने को कहा गया है और वे रोजाना तीन हजार लीटर सैनिटाइजर बना रही हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ सीधी जंग में ओएफबी ने देश भर के अपने 10 अस्पतालों को भी विशेष रूप से तैयार करते हुए 280 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की है।

स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकाल तय करने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केरल की संस्था यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोरोना संक्रमण के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को नेशनल कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकाल तय करने का निर्देश दिये जाने की मांग की है।

केरल की इस संस्था की ओर से दाखिल की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सुनिश्चित करे कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को प्रोटेक्शन किट मिले। सभी स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (पीपीई) के निजी प्रयोग और निस्तारण का प्रशिक्षण दिया जाए। स्वास्थ्यकर्मियों को स्तरीय पोषक अहार मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही कोरोना वार्ड में काम कर रहे सभी स्वास्थ्यकर्मियों, डाक्टर और नर्सों को अस्पताल के नजदीक रहने की व्यवस्था की जाए और उन्हें आने जाने का सुविधाजनक साधन मुहैया भी कराया जाए।

इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि कोरोना संदिग्ध के अस्पताल में प्रवेश से पहले ही जांच की जाए और उसे मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए। संदिग्ध मामलों में जल्द टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। याचिका में और भी कई मांग की गई हैं।

निशंक बोले, स्कूलों में पढ़ाई को लेकर 14 के बाद लिया जाएगा निर्णय

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने रविवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस संकट पर स्थिति की 14 अप्रैल को समीक्षा करने के बाद सरकार स्कूल, कॉलेज फिर से खोलने पर कोई निर्णय लेगी। 'निशंक' ने प्रेट्र से एक साक्षात्कार में कहा कि छात्रों और अध्यापकों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे ऊपर है। उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में लगा है कि यदि स्कूल, कॉलेज को 14 अप्रैल के बाद भी बंद रखने की जरूरत पड़ी, तो छात्रों को पढ़ाई-लिखाई का कोई नुकसान नहीं हो। देश में 21 दिनों के लिए लागू लॉकडाउन समाप्त होने पर उनके मंत्रालय की योजना के बारे में पूछे जाने पर 'निशंक' ने कहा कि इस वक्त कोई फैसला लेना मुश्किल है। हम 14 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा करेंगे। परिस्थितियों के मुताबिक इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि स्कूल, कॉलेज फिर से खोले जा सकते हैं या उन्हें कुछ और समय के लिए बंद रखना होगा। मंत्री ने कहा कि देश में 34 करोड़ छात्र हैं, जो अमेरिका की आबादी से अधिक है। वे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। छात्रों एवं अध्यापकों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है।

उल्लेखनीय है कि 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। सरकार से संकेत मिला है कि लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया

रमेश पोखरियाल 'निशंक'। फाइल फोटो

जाएगा। हालांकि, स्कूल, कॉलेजों में कक्षाएं लॉकडाउन की घोषणा किए जाने से पहले से ही स्थगित हैं। मंत्री ने कहा कि फिलहाल, विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। 'निशंक' ने कहा कि मैं लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज द्वारा अनुपालन की जा रही कार्य योजना की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा हूं। स्थिति में सुधार आने पर और लॉकडाउन खत्म होने पर लंबित परीक्षाएं संचालित करने तथा (उत्तर पुस्तिकाओं का) मूल्यांकन करने के लिए पहले से ही एक योजना तैयार है।

सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केवल उन 29 विषयों में कक्षा 10 और 12 के लिए लंबित परीक्षाओं का आयोजन करेगा, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि वह कोरोना वायरस के कारण विदेश में लंबित कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा। कक्षा आठ तक के सभी छात्रों को पदोन्नत किया गया है। कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन में उनके प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड देने के लिए कहा गया है।

छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेगा केंद्रीय विद्यालय : केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देशभर में अपने स्कूलों के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसमें लॉकडाउन के कारण घरों में अटके छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने और कार्यक्रम को लागू करने के लिए सभी प्रिंसिपलों के साथ एक्शन प्वाइंट साझा किया गया है। सभी केंद्रीय विद्यालयों को शिक्षकों, छात्रों और उनके माता-पिता के साथ संपर्क करने के लिए कहा गया है, ताकि ई-मेल, वाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से छात्रों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमने सात अप्रैल से शुरू होने वाले स्वयं प्रभा पोर्टल से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के रिकॉर्ड किए गए और लाइव कार्यक्रमों के पाठों को भी साझा किया है। केंद्रीय विद्यालय ने लाइव सत्र के दौरान छात्रों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए शिक्षकों को भी नामित किया है।

अदालतों में कामकाज कैसे हो आज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना के कारण देश भर में किये गये लाकडाउन के दौरान अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किस तरह कामकाज हो इसके लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तैयार करेगा। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोवडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ व जस्टिस एल. नागेश्वर राव की खंडपीठ स्वतः संज्ञान लिये गये इस मामले की दिन में साढ़े बारह बजे सुनवाई करेगी।

उल्लेखनीय है 25 मार्च से देश भर में लगाये गये लाकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट बेहद अहम मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कर रहा है। इस दौरान जमानत संबंधी मामलों और पलायन करने वाले कामगारों के मामलों की भी वरीयता के आधार पर सुनवाई की गई। इससे पूर्व रविवार को दिन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने लाकडाउन के कारण अदालतों के कामकाज में हो रही कठिनाई पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर समाधान निकालने का आग्रह किया था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित कर रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिला और बाल विकास मंत्रालय 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि जागरूकता सत्रों के माध्यम से मंत्रालय दो लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता सत्रों की एक शृंखला शुरू की है, ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उन्हें कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी रहे। सरकार इस मामले में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संपर्क में है।

- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सुरक्षित रखने की कवायद
- घरेलू हिंसा पीड़ितों की मदद करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का टास्क फोर्स बनाएगा महिला आयोग

प्रतीकात्मक फोटो

सूत्रों ने कहा कि 15 अप्रैल के बाद भी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रविवार को जागरूकता सत्र के दौरान महिलाओं और बच्चों से कोरोना वायरस का परिचय और निवारक उपायों के अलावा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर चर्चा की गई।

टास्क फोर्स बनाने का किया फैसला

घरेलू हिंसा पीड़ितों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 15 से अधिक गैरसरकारी संगठनों का टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि लॉकडाउन के बाद से उसे महिलाओं के खिलाफ विभिन्न अपराधों से संबंधित कुल 257 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें घरेलू हिंसा की 69 शिकायतें हैं।

खनन कानून में संशोधन, कई कामों को अब नहीं लेनी होगी हरित मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करते हुए कई कार्यों के लिए हरित मंजूरी लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। उदाहरण के तौर पर नदी में बाढ़ आने के बाद खेतों में जमा बालू या सिल्ट को हटाने के लिए अब पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 'कुम्हारों को अब बर्तन बनाने के लिए सामान्य मिट्टी की हाथ से खोदाई को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेनी होगी। इसी प्रकार ईंट निर्माण के लिए हाथ से मिट्टी की खोदाई भी बिना हरित मंजूरी के की जा सकती है।

खनन कानून में संशोधन करते हुए मंत्रालय ने कहा, 'लोगों ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी की खोदाई के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की अनिवार्यता को खत्म करने का आग्रह किया था। इसी प्रकार पारंपरिक कार्यों से जुड़े समुदायों ने भी मिट्टी की खोदाई के लिए नियम में छूट देने की मांग की थी।'

मंत्रालय के अनुसार, 'तालाब, डैम, जलाशय, नदी व तालाब से सिल्ट हटाने, ग्रामीण सड़क निर्माण व मनरेगा के तहत तालाब की खोदाई के लिए अब हरित मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार पेयजल के लिए कुएं की खोदाई अथवा जिलाधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर बाढ़ आदि से निपटने के लिए नहर, नाला, नाली या अन्य जलाशय के निर्माण के लिए पूर्व में हरित मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने जिन कार्यों को गैर खनन गतिविधि के तौर पर घोषित किया हो, उनके लिए भी पर्यावरणीय अनुमति की जरूरत नहीं है।'

सियासत

प्रदेश में लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या, राजस्व उगाही भी है ठप, दीदी को है डर, महामारी से निपटने का कहीं श्रेय न ले जाए केंद्र सरकार

बंगाल में कोरोना से जंग में ममता की दोहरी परेशानी

जयकृष्ण वाजपेयी, कोलकाता

कोरोना वायरस से जंग में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। पहली हर दिन कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी राजस्व उगाही पूरी तरह से ठप है। ऐसे में लोकलुभावन और आगामी शहरी निकाय व विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर की गई बजटीय घोषणाओं का क्या होगा? वैसे भी बंगाल सरकार पर तीन लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। जिसके ब्याज और मूलधन के भुगतान में हर वर्ष सरकार को 50 हजार करोड़ चुकाने होते हैं। ऐसे में कोरोना ने ममता सरकार की निर्भरता केंद्र सरकार पर बढ़ा दी है। वहीं एक और डर शायद ममता को जरूर सता रहा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। ऐसे में पूरा श्रेय भाजपा को न मिल जाए। इस महामारी में यदि उनकी पार्टी विरोध करती है तो उन्हें पता है कि स्थिति क्या हो सकती है।

ममता बनर्जी फाइल फोटो

इसीलिए ममता जो 15 मार्च तक यह कह रही थी कि भारत में कोरोना नहीं है, वह भी जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे निर्देशों को सहज ही स्वीकार कर रही हैं।

ममता भी पीछे नहीं : कोरोना के बीच ममता ने भी कई घोषणा कर डाली जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पांच लाख का बीमा प्रमुख था। इसके बाद जब केंद्र ने लॉकडाउन में 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से लेकर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी लोगों को 50 लाख की बीमा की घोषणा कर दी तो ममता ने भी राज्य के आठ करोड़ लोगों को छह माह तक मुफ्त राशन देने का एलान कर दिया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, यानी डॉक्टर से लेकर नर्स व पुलिस वालों तक की बीमा की राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया। लॉकडाउन के बाद ममता ने राज्य के मजदूरों को लेकर 20 राज्यों को पत्र भी लिखा है। अब ममता ने 1 अप्रैल को पीएम को पत्र लिखकर 25 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं। साथ ही केंद्र पर बंगाल का बकाया 36 हजार करोड़ रुपये भी मांगा है।

इस समय जो हालात है उसमें केंद्र की बातें मानने के अलावा ममता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि, लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात है कि इस समय बाजार से भी ऋण नहीं ले पा रही हैं। इसीलिए वह बार-बार केंद्र पर दबाव बना कर नगदी लेना चाहती हैं। केंद्र सरकार भी मदद कर रही और शुक्रवार को ही कोरोना से लड़ने के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के तहत जो राशि जारी की, उसमें बंगाल को 505 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे पहले केंद्र ने बंगाल को पिछले साल चक्रवात और तूफान की वजह से हुए नुकसान की मदद के लिए मार्च के शुरू में करीब 1100 करोड़ रुपये दिए थे। ममता की परेशानी यह है कि शहरी निकाय चुनाव को लेकर वह कई लोकलुभावन घोषणाएं कर रखी हैं। यदि कोरोना का बवंडर थमता है और चुनाव होगा तो उन्हें यह भी दिखाना है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की इसीलिए वह पत्र पर पत्र लिख रही हैं और दबे स्वर में विरोध कर रही हैं। हालांकि, जब से कोरोना का संकट आया है ममता का केंद्र सरकार पर हमला बंद है।

लग रहे हैं आंकड़े छुपाने के आरोप : ममता पर बंगाल में कोरोना संक्रमित और इससे बीमारी से मरने वालों की संख्या भी छुपाने का आरोप भी लगने लगा है। ममता ने कोरोना से निपटने के लिए एक विशेष टीम बनाई है। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता में बंगाल में कोरोना रोगियों की संख्या 53 बताई थी और मौत सात। इसके कुछ देर बाद ही ममता के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इसे क्रमशः 34 और तीन बता दिया। तब्लीगी मरकज से बंगाल मे आए 225 लोगों को लेकर भी ममता पर तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी